लोक सभा में 28 फरवरी, 2002
को पुरःस्थापित रूप में

2002 का विधेयक संख्यांक 6

[दि फाइनेंस बिल, 2002 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2002

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2002 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 112, 1 अप्रैल, 2002 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।